भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 735
गुरूवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)

महाराष्ट्र में रोजगार सृजन

735. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नये श्रम संहिता के अंतर्गत रोजगार-सृजन और नौकरियों के औपचारिकीकरण की प्रगति की निगरानी की है, जिनके बारे में बताया गया है कि इनसे रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पंजीकृत रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी दर में कमी और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में उद्योगों को नये वेतन और सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए कोई राज्य-विशिष्ट योजनाएं या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है, लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): चार श्रम संहिताएं, अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां (ओएसएच) संहिता, 2020, जिनमें 29 केंद्रीय श्रम कानून शामिल हैं, ये संहिताएं 21 नवंबर, 2025 से लागू की गई हैं। ये संहिताएं श्रमिकों, विशेषकर असंगठित श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती हैं।

नई श्रम संहिताएं उभरती तकनीकी और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कवरेज और रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण जिसके अंतर्गत संगठित और असंगठित कामगारों सहित गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कवरेज प्रदान किया गया है जिससे रोजगार संबंधी असुरक्षाओं के विरूद्ध सुरक्षा मजबूत हुई है।

(ii) श्रम सुरक्षा उपाय जिनमें औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत पुन: कौशल निधि और विवाद समाधान तंत्र शामिल हैं, इससे संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों के दौरान कार्यबल समायोजन आसान होगा।

(iii) डिजिटल प्रणालियों को अपनाना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न दाखिल करना और प्रौद्योगिकी-सक्षम निरीक्षण शामिल हैं ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है। इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26.08.2021 को असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को पंजीकृत करना और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम- 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' भी लॉन्च किया है, जिसमें एक ही पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण एकीकरण किया गया है। इसकी परिकल्पना ई-श्रम के माध्यम से ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने के लिए की गई है। दिनांक 02.02.2026 तक, महाराष्ट्र में 1.83 करोड़ कामगारों ने इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****